रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 489] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 1, 1984/आश्विन 9, 1906
No. 489] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 1984/ASVINA 9, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1984

आयकर

का०आ० 757 (अ) —केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय कर (.....संशोधन) नियम, 1984 है ।

(2) ये 1 अक्तूबर, 1984 को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय कर नियम, 1962 में,—

(i) भाग 3 के पश्चात निम्नलिखित भाग अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"भाग 3क

अपील की पुनरावृत्ति से बचना

धारा 158क के अधीन घोषणा

16. धारा 158क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा प्ररूप 8 में होगी और वह उसमें उपदर्शित रीति में सत्यापित की जाएगी ।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा और सत्यापन पर, नियम 45 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा—

(क) उस मामले में जिसमें यह सहायक अपील आयुक्त या आयुक्त (अपील) को प्रस्तुत की जाती है, दो प्रतियों में होगी, और

(ख) उस मामले में जिसमें यह अपील अधिकरण को प्रस्तुत की जाती है, तीन प्रतियों में होगी ।";

(ii) नियम 44ग में,—

(क) उपनियम (1) में, निम्नलिखित शब्द अन्त में जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"और वह उसमें उपदर्शित रीति में सत्यापित की जाएगी;"

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन उससे संलग्न सत्यापन, उक्त आवेदन का उपाबंध और उपाबंध के साथ लगे विवरण और दस्तावेज पर, नियम 45 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।" :

(iii) नियम 44ग के पश्चात निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"मामलों के समझौतों" के लिए आवेदन में सूचना का प्रकटीकरण

44गक. समझौता आयोग, धारा 245घ की उपधारा (1) को

अधीन आयुक्त से रिपोर्ट मांगते समय, प्ररूप सं० 34ख में फाइल किए गए आवेदन की एक प्रति (उपाबंध और ऐसे उपाबंध से संलग्न अन्य विवरणों और अन्य दस्तावेजों से भिन्न) अग्रेषित कर सकेगा ।

(2) जहां धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन, समझौता आयोग द्वारा किसी आवेदन पर कार्यवाही करने की अनुज्ञा देने वाला आदेश किया जाता है, वहां प्ररूप सं० 34ख में आवेदन के उपाबंध और ऐसे उपाबंध से संलग्न विवरण और अन्य दस्तावेज में अंतर्विष्ट जानकारी उक्त आदेश की प्रति के साथ आयुक्त को भेजी जाएंगी ।";

(iv) परिशिष्ट 2 में—

(क) प्ररूप सं० 7 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

प्ररूप सं० 8

(नियम 16 देखें)

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 158क (1) के अधीन घोषणा ऐसे निर्धारिती द्वारा की जाएगी जो यह दावा करता है कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष समरूप विधि का प्रश्न लम्बित है ।

मैं ..... जो श्री ..... का पुत्र/की पुत्री/पत्नी हूं ..... का ..... होने के नाते यह घोषणा करता हूं कि :—

(1 ..... निर्धारण वर्ष की बाबत धारा 256/257 के अधीन निर्देश पर** उच्च/उच्चतम न्यायालय

धारा 261 अधीन पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष मेरे मामले** के मामले में विधि का** के निम्नलिखित मामला/मामले लंबित है/हैं ।

**मामले का कथन और उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय को निर्दिष्ट विधि का/के प्रश्न ..... की एक प्रति संलग्न है । उच्च न्यायालय का निर्णय और उच्चतम न्यायालय को अपील के आधार

2. उक्त विधि का/के प्रश्न, मेरे मामले**/के मामले में उत्पन्न होने वाले विधि का/के प्रश्न के समरूप है जो—निर्धारण वर्ष की बाबत—***के समक्ष लंबित है ।

3. यह कि यदि ..... ऊपर पैरा 2 में निर्दिष्ट मामले को ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट मामले में विधि के प्रश्न पर अंतिम विनिश्चय लागू करने के लिए सहमत हो, तो मैं** ऊपर पैरा 1 और 2 में उल्लिखित निर्धारिती किसी अपील अधिकरण के समक्ष अपील में ऊपर पैरा 2 में निर्दिष्ट, मामले में या धारा 256 के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष या धारा 257 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्देश के लिए अथवा धारा 261 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में उक्त विधि का/के प्रश्न नहीं उठाऊंगा ।

....

घोषणा करने वाले के हस्ताक्षर
स्थायी खाता सं०
निर्धारिती का पता .....
.....
.....

सत्यापन

मैं यह घोषणा करता हूं कि जो कुछ ऊपर कहा गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण और सत्य कथन है ।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं ..... होने के नाते यह घोषणा कर रहा हूं और मैं यह घोषणा करने और सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं ।

आज तारीख ..... को सत्यापित

तारीख .....

घोषणा करने वाले के हस्ताक्षर

टिप्पण :

1. घोषणा, जब अपील सहायक आयुक्त या आयुक्त (अपील) को भेजी जाती है तब यह दो प्रतियों में होगी और जब यह अपील प्राधिकरण को भेजी जाती है तब यह तीन प्रतियों में होगी ।

2. *जिस हैसियत में से सत्यापन किया गया है वह उल्लिखित करें ।

3. जो लागू न हो उसे काट दें ।

4. ***जिस अधिकारी या प्राधिकारी को घोषणा भेजी जा रही है उसका पदाभिधान उल्लिखित करें ।

5. पूरा डाक पता दें । जहां घोषणाकर्त्ता निर्धारिती नहीं है वहां निर्धारिती का पूरा डाक पता भी दें ।

(ख) प्ररूप सं० 34ख के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप सं 34ख

(नियम 44ग और 44 गक देखें)

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 225 ग(1) के अधीन मामले को समझौते के लिए आवेदन का प्रारूप

समझौता आयोग ..... के समक्ष*

समझौता आवेदन सं० 19....19

1. आवेदक का नाम और पता । .....

स्थायी लेखा संख्यांक । .....

3. प्रास्थिति (टिप्पण 4 देखें) । .....

4. आयुक्त जिसकी अधिकारिता के अधीन आवेदक है । .....

5 निर्धारण वर्ष जिसके (जिनके) संबंध में समझौते के लिए आवेदन किया गया है । .....

6. कार्यवाहियां जिनका संबंध समझौते के लिए आवेदन से है, वह तारीख जबसे कार्यवाहियां लंबित है और वह आय कर प्राधिकारी जिसके समक्ष कार्यवाहियां लंबित है (टिप्पण 6 देखें) । .....

7. यदि अपील अधिकरण के समक्ष लंबित अपील को 1 अक्तूबर 1984 के पश्चात् अपील वापस ले लिए जाने के लिए आवेदन किया गया है तो, वह तारीख उपदर्शित करे जिस तारीख को अपील अधिकरण ने अपील वापस लेने की अनुज्ञा देने का आदेश दिया था और उस आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करें । .....

8. उन विषयों की विशिष्टियां जिनके संबंध में समझौता होना है मामले की प्रकृति और परिस्थितियां तथा अन्वेषण में अन्तर्वलित जटिलता (टिप्पण 7 देखें)

9. उस आय का सत्य प्रकटीकरण जिसकी बाबत आयकर अधिकारी के समक्ष पहले प्रकटीकरण नहीं किया गया है और वह रीति जिससे ऐसी रकम प्राप्त की गई है और ऐसी रकम पर संदेय आयकर की अतिरिक्त रकम (टिप्पण 9 और 10) (उपाबंध देखें)

.....

हस्ताक्षर (आवेदक)

सत्यापन

मैं ..... जो श्री .....

का पुत्र/की पुत्री/पत्नी हूं यह घोषणा करता हूं/करती हूं कि ऊपर और उपाबंध में (जिसके अन्तर्गत ऐसे उपाबंध के साथ विवरण और दस्तावेज भी है) जो कुछ कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है।

मैं यह और भी घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं .....

(पदाभिधान)

की हैसियत में यह आवेदन दे रहा हूं और यह कि मैं इस आवेदन को करने और उसको सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।

आज तारीख ..... को सत्यापित।

स्थान : .....

हस्ताक्षर (आवेदक)

टिप्पण :

1. समझौते के लिए आवेदन पांच प्रतियों में होगा।

2. समझौते के लिए आवेदन के साथ पांच सौ रुपए की फीस दी जानी चाहिए। यह फीस किसी प्राधिकृत बैंक की शाखा या भारतीय स्टेट बैंक की शाखा या भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा में जमा की जानी चाहिए और समझौते के लिए आवेदन के साथ चालान तीन प्रतियों में समझौता आयोग को भेजे जाना चाहिएं। समझौता आयोग चैक, ड्राफ्ट हुण्डियां या अन्य पर क्राम्य लिखते स्वीकार नहीं करेगा।

3. आवेदन का संख्यांक और वर्ष समझौता आयोग के कार्यालय में भरा जाएगा।

4. कृपया बताएं कि क्या व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संगम है।

5. यदि यहां दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो इस प्रयोजन के लिए अलग कागज पर लिखकर उस कागज को इसके साथ लगाया जा सकता है।

6. निर्धारण कार्यवाहियों की दशा में तो उस आयकर अधिकारी/निरीक्षण सहायक आयुक्त (निर्धारण) का पदनाम उपदर्शित करें, जिसके समक्ष कार्यवाही लम्बित है, साथ में वह तारीख बताएं जब कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(2)/148 के अधीन सूचना दी गई है या धारा 146 के अधीन निर्धारण फिर से करने की तारीख यथा स्थिति, वह तारीख बताएं जब उक्त अधिनियम की धारा 139 के अधीन विवरणी फाइल की गई है। आवेदन अपील कार्यवाहियों की दशा में उस अपील प्राधिकारी का नाम बताएं जिसके समक्ष अपील फाइल की गई है और फाइल करने की तारीख भी बताएं। पुनरीक्षण याचिका की दशा में पुनरीक्षण याचिका फाइल की जाने की तारीख बताएं और यह भी कि वह समय के भीतर फाइल की गई है या नहीं।

7. मद सं० 8 के सामने उन विवादकों के ब्यौरे दें जिनके संबंध में समझौते के लिए आवेदन किया गया है, मामले की प्रकृति और परिस्थितियों और उनमें अन्तर्ग्रस्त अन्वेषण संबंधी जटिलताएं उपदर्शित करें। जहां आवेदन एक से अधिक निर्धारण वर्ष से संबंधित है वहां प्रत्येक निर्धारण वर्ष के संबंध में ये ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएं।

8. किसी मामले के समझौते से संबंधित आवेदन को आवेदक द्वारा वापस नहीं लेने दिया जायगा।

9. मद 9 में निर्दिष्ट आय पर संदेय आयकर की अतिरिक्त रकम की संगणना धारा 245ग की उपधारा (1क) से (1घ) में अधिक रीति में की जाएगी।

10. मद 9 में निर्दिष्ट ब्यौरे इस आवेदन के उपाबंध में दिए गए हैं।

उपाबंध

विवरण, जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245ग (1) के अधीन किए गए आवेदन की मद 9 में निर्दिष्ट ब्यौरे अन्तर्विष्ट हैं।

1. आय की रकम जिसे आयकर अधिकारी के समक्ष प्रकट नहीं किया गया है .....

2. उक्त आय पर संदेय आयकर की अतिरिक्त रकम .....

3. समझौता किए जाने वाले विवादकों के बारे में तथ्यों का पूर्ण और सही विवरण जिसमें आवेदक द्वारा निवेदित समझौते के निबंधन भी सम्मिलित हों .....

4. वह रीति जिसमें मद सं० 1 में निर्दिष्ट आय प्राप्त की गई है .....

स्थान : .....

तारीख : हस्ताक्षर (आवेदक)

टिप्पण :

उपाबंध के साथ निम्नलिखित संलग्न होना चाहिए :—

(1) विवरण (विवरणियों) जिसमें/जिनमें उस/उन निर्धारण वर्ष/वर्षों में, जिनसे समझौते का आवेदन संबंधित है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आवेदक की कुल आय की संगणना अन्तर्विष्ट होगी;

(2) विनिर्माण लेखा या व्यापार लेखा या यथास्थिति दोनों, लाभों और हानि लेखा, या आय और व्यय लेखा या यथास्थिति कोई अन्य उसी प्रकार का लेखा और तुलनपत्र, और

(3) निम्नलिखित के मामलों में—

(क) सांपत्तिक कारबार या वृत्ति, स्वत्वधारी के व्यक्तिगत लेखा की प्रतियां;

(ख) कोई फर्म या व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय, यथास्थिति उसके भागीदारों या सदस्यों के वैयक्तिक लेखाओं की प्रतियां; और

(ग) फर्म का भागीदार या व्यक्तियों के संगम का सदस्य या व्यष्टियों का निकाय, यथास्थिति, फर्म के या व्यक्तियों के संगम के या व्यक्तियों के निकाय के, ऐसे भागीदार या सदस्य के व्यक्तिक लेखा की प्रतियां।

[सं० 6011/फा०सं० 142(45)/84-टीपीएल]
वी० डी० वखारंकर, सचिव,
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 1984

INCOME-TAX

S.O. 757(E):—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Third Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the 1st day of October 1984.

2. In the Income-tax Rules, 1962,—

(i) after Part III, the following Part shall be inserted namely :—

"PART III-A

AVOIDANCE OF REPETITIVE APPEALS

Declaration under section 158A :

16. (1) The declaration referred to in sub-section (1) of section 158A shall be in Form No. 8 and shall be verified in the manner indicated therein.

(2) The declaration and the verification referred to in sub-rule (1) shall be signed by the person specified in sub-rule (2) of rule 45.

(3) The declaration referred to in sub-rule (1) shall,—

(a) in a case where it is furnished to the Appellate Assistant Commissioner or the Commissioner (Appeals), be in duplicate, and

(b) in a case where it is furnished to e Appellate Tribunal be in triplicate.";

(ii) In rule 44C,—

(a) in sub-rule (1), the following words shall be added at the end, namely:—

"and shall be verified in the manner indicated therein";

(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) The application referred to in sub-rule (1), the verification appended thereto, the Annexure to the said application and the statements and documents accompanying the Annexure shall be signed by the person specified in sub-rule (2) of rule 45.";

(iii) after rule 44C, the following rule shall be inserted namely:—

"Disclosure of information in the application for settlement of cases :

44CA. (1) The Settlement Commission may, while calling for a report from the Commissioner under sub-section (1) of section 245D, forward a copy of the application filed in Form No. 34B (other than the Annexure and the statements and other documents accompanying such Annexure).

(2) Where an order under sub-section (1) of section 245D allowing the application to be proceeded with is made by the Settlement Commission, the information contained in the Annexure to the application in Form No. 34B and in the statements and other documents accompanying such Annexure shall be sent to the Commissioner along with a copy of the said order.";

(iv) in Appendix II,—

(a) after Form No. 7, the following Form shall be inserted, namely:—

"FORM NO. 8

(See rule 16)

Declaration under section 158A(1) of the Income-tax Act, 1961 to be made by an assessee claiming that identical question of law is pending before the High Court or the Supreme Court]

I..................son/daughter/wife of Shri............ ....being the*..........of............ do hereby declare:—

1. That the following question(s) of law** is/are pending in **my case/in the case of..........before the **High Court/Supreme Court on a reference under section 256/257

Supreme Court on an appeal under section 261 in respect of the assessment year....... ....

A copy of the statement of the case and question(s) of law referred to the High Court/Supreme Court is/are enclosed.

**A copy of the judgment of the High Court and the grounds of appeal to the Supreme Court is/are enclosed.

2. That the said question(s) of law **is/are identical with the question(s) of law arising in **my case/in the case of ——————————in respect of the assessment year——————which is pending before***——————.

3. That if the ***..............................agrees to apply to the case referred to in paragraph 2 above the final decision on the question of law in the case referred to in paragraph 1 above, **I/the assessee mentioned in paragraphs 1 and 2 above, shall not raise the said question (s) of law in the case referred to in paragraph 2 above in appeal before any appellate authority or for a reference before the High Court under section 256 or the Supreme Court under section 257 or in appeal before the Supreme Court under section 261.

——————————
(Signature of the declarant)
Permanent Account No.——————
Address of the assessee——————
——————————
——————————

VERIFICATION

I,................do hereby declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above is correct, complete and is truly stated.

I further declare that I am making the declaration in my capacity as....................and that I am competent to make this declaration and verify it.

Verified today the..........day of..........19..........

Place..................

....

Signature of the declarant

Notes:

1. The declaration should be in duplicate when it is furnished to the Appellate Assistant Commissioner or the Commissioner (Appeals) and in triplicate when it is furnished to the Appellate Tribunal.
2. *Mention the capacity in which the declaration is made.
3. **Delete whichever is not applicable.
4. ***Mention the designation of the officer or authority to whom or which the declaration is furnished.
5. Give complete postal address. Where the declarant is not the assessee, also give the complete postal address of the assessee.";

(b) for Form No. 34B the following Form shall be substituted, namely:—

"FORM NO. 34 B

(See rules 44C and 44CA)

Form of application for settlement of case under sectio 245C(1) of the Income-tax Act, 1961

IN THE SETTLEMENT COMMISSION.................

*Settlement application No......19........19........

1. Full name and address of the applicant ....
2. Permanent Account Number ....
3. Status (see Note 4) ....
4. The Commissioner having jurisdiction over the applicant ....
5. Assessment year(s) in connection with which the application for settlement is made ....
6. Proceedings to which application for settlement relates, the date from which the proceedings are pending and the income-tax authority before whom the proceedings are pending (see Note 6) ....
7. Where the application made after withdrawing, before the 1st day of October, 1984, any appeal pending before the Appellate Tribunal, indicate the date of the order of the Appellate Tribunal permitting withdrawal of the appeal and attach a certified copy of the order. ....
8. Particulars of the issues to be settled, nature and circumstances of the case and complexities of the investigation involved (see Note 7) ....
9. Full and true disclosure of income which has not been disclosed before the Income-tax Officer, the manner in which such income has been derived and the additional amount of income-tax payable on such income (see Notes 9 and 10) (see Annexure)

....

Signed (Applicant)

VERIFICATION

I,.............son/daughter/wife of.................do hereby solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, what is stated above and in the Annexure [including the statement(s) and documents accompanying such Annexure] is correct and complete.

I further declare that I am making this application in my capacity as ——————————and that I am competent to
(designation)
make this application and to verify it.

Verified today the..........day of..........19..........

....

Signed (Applicant)

Notes:

1. The application for settlement must be in quintuplicate.
2. The application for settlement must be accompanied by a fee of five hundred ruppees. The fee should be credited in a branch of the authorised bank or a branch of the State Bank of India or a branch of the Reserve Bank of India and the triplicate challan sent to the Settlement Commission with the application for settlement. The Settlement Commission will not accept cheques, drafts, hundies or other negotiable instruments.
*3. The number and year of application will be filled in, in the office of the Settlement Commission.
4. Please state whether individual, Hindu undivided family, company, firm an association of persons, etc.
5. If the space provided is found insufficient, separate enclosurer may be used for the purpose.
6. In case of assessment proceedings, indicate the designation of the Indcome-tax Officer/Inspecting Assistant Commissioner (Assessment) before whom the proceedings are [illegible] indicating also the date of service of notice under [illegible] 139 (2)/ section 148 of the Income-tax Act, 1961, [illegible] of reopening of the assessment under section 148 of the said Act or, as the case may be, the date of filing of the return under section 139 of the said Act, In case of appellate proceddings, indicate the appellate authority before [illegible] the appeal is filed and the date of filing of the appeal. In case of revision petition indicate the date of filing [illegible] revision petition and whether the same is filed within time or [illegible]
7. Full details of issues for which application for settlement is made, the nature and circumstances of [illegible] and complexi ties of the investigation involved must be indicated against item 8. Where application [illegible] more than one assesment year, these details should be furnished for each assessment year.
8. The application for settlement of a case shall not be allowed to be withdrawn by the applicant.
9. The additional amount of income-tax payable [illegible] referred to in item 9 should be calculated in the manner laid down in sub-sections (1A) to (1D) of section [illegible]
10. The details referred to in item 9 shall be given in the Annexure to this application.

ANNEXURE

STATEMENT CONTAINING PARTICULARS REFERRED TO IN ITEM 9 OF THE APPLICATION UNDER SECTION 245C(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961.

1. Amount of income which has not been disclosed before the Income-tax Officer .....

2. Additional amount of income-tax payable on the said income .....

3. Full and true statement of facts regarding the issues to be settled, including the terms of settlement sought for by the applicant.

4. The manner in which the income referred to in item No. 1 has been derived.

Place..... .....

Signed (Applicant)

Date.....

Note : The Annexure should be accompanied by—

(i) Statement(s) containing computation of total income of the applicant for the assessment year or years to which the application for settlement relates, in accordance with the provisions of the Act;

(ii) copies of the manufacturing account or trading account or both, as the case may be; profit and loss account or income and expenditure account or any other similar account, as the case may be, and balance-sheet; and

(iii) in the case of—

(a) a proprietary business or profession, copies of the personal account of the proprietor;

(b) a firm or association of persons or body of individuals, copies of the personal accounts of the partners or members thereof, as the case may be; and

(c) a partner of a firm or a member of an association of persons or body of individuals, copies of the personal account of such partner or member in the firm or association of persons or body of individuals, as the case may be."

[No. 6011/F. No. 142(45)/84-TPL]
V.D. WAKHARKAR, Secy.
Central Board of Direct Taxes

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984